

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता सहायता-अनुदान और सेवा शर्तों आदि) नियम 1993 एवं राज्य सरकार के पत्रांक प. 18 (1) शिक्षा -5/2001 दिनांक 16-11-2002 पत्रांक के निर्देशानुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र के आधार पर सत्र 2003-2004 से नाम के सम्मुख अंकित स्तर एवं माध्यम की निम्न शर्तों के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता नियमों एवं विभागीय निर्देशों की पालना न करने पर मान्यता कभी भी निरस्त की जा सकती है।

क्र.स	संस्था का नाम व पता	मान्यता स्तर	माध्यम
1-	डी०एच०वी०के०ने०नरी पब्लिक स्कूल नजदीक अग्रवाल धर्मशाला बीकानेर रोड, अनुमगड, गंगानगर	उ०प्र० स्तर	अंग्रेजी माध्यम

शर्तें:-

1. कक्षा- कक्षा के अनुरूप प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जावे।
2. मान्यता नियम 1993 के परिशिष्ट -2 में वर्णित शर्तों की पूर्ति की जावे।
3. विद्यालय पूर्णतया सुरक्षित भवन में संचालित किया जावे।
4. कक्षा 1 से 5 तक 75 छात्र तथा कक्षा 6 से 8 तक 45 छात्र होने आवश्यक है।
5. उ.प्र. स्तर के विद्यालयों में शा. शिक्षक व च. श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये जावे।
6. संस्था को जिस स्थान हेतु मान्यता दी गई है, उसी स्थान पर ही संचालित की जावे। अन्य कोई शाखा आदि न खोली जावे।
7. संस्था में एम.ए.ई. आर.टी. उदयपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकें, जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित हो, ही लागू की जावे।
8. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम ही लागू किया जाएगा।
9. प्रत्येक वर्ष संस्था का भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र, कार्यरत अध्यापकों की सूची, कक्षावार छात्र संख्या विवरण, तथा लेखा पुस्तकों के अन्तिम खातों की चार्टर्ड अकाउटेन्ट द्वारा प्रमाणित रिपोर्ट इस कार्यालय को अवश्य प्रेषित की जावे अन्यथा पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था को होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी,
(प्रार. शिक्षा) श्री गंगानगर।

क्रमांक: जिशिअ/गंगा/प्रारं/सामान्य/2002/ 11004
प्रतिलिपि:-

दिनांक 21/11/03

1 ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, अनुमगड

2 व्यवस्थापक, डी०एच०वी०के०ने०नरी पब्लिक स्कूल, नजदीक अग्रवाल धर्मशाला
बीकानेर रोड, अनुमगड, गंगानगर